

# कानपुर विकास प्राधिकरण



**का० वि० प्रा०**

ढेकेदारों के पंजीकरण / नवीनीकरण सम्बन्धी नियमावली  
वर्ष 2010-11

मूल्य- 200 / - रुपये

.....श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र वर्ष 2010-11  
कानपुर विकास प्राधिकरण

आवेदक पत्र का क्रमांक: -

- 1- फर्म का नाम .....
- 2- भागीदारों के नाम (1.....2.....3.....  
4.....)
- 3- पूरा पता.....  
.....
- 4- मो0 नं0.....फोन नं0.....  
स्वामित्व/पार्टनरशिप (प्रति संलग्न करें) (संलग्नक-1)
- 5- स्टाफ की संख्या नाम व पते (संलग्नक-2)
- 6- वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में बैंक का प्रमाण पत्र (संलग्नक-3)
- 7- पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान व पता (संलग्नक-4)
- 8- दो नवीनतम प्रमाणित फोटो संलग्न करनी होंगी। (समस्त भागीदारों की)
- 9- आयकर विभाग से पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति एवं बैलेंस शीट/पेन नं0 की छायाप्रति (संलग्नक-5)
- 10- इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर उसका निकट का रिश्तेदार/  
ब्लड रिलेशन (कानपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है) (संलग्नक-6)
- 11- निर्माण/विकास कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची (संलग्नक-7)
- 12- पिछले चार वर्षों में किये गये निर्माण/विकास कार्यों के विवरण की सूची (संलग्नक-8)
- 13- अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्नक-9)
- 14- डिग्री/डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की प्रतिलिपि (संलग्नक-10)
- 15- पार्टनरशिप फर्म के लिये फर्म ऑफ सोसायटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्नक-11)
- 16- विधुत कार्य के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये शासन द्वारा निर्गत "क" अनुमोदित लाइसेन्स प्रस्तुत करना होगा।

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| नवीनतम सत्यापित<br>पासपोर्ट साइज का<br>फोटोग्राफ<br>(सभी भागीदारों के) |
|------------------------------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

नमूना हस्ताक्षर

.....

नमूना हस्ताक्षर

.....

(2)

## कानपुर विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु नियम व शर्तें

- 1— भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु योग्य होंगे।

|                |                       |               |
|----------------|-----------------------|---------------|
| विशिष्ट श्रेणी | रु0 2.00 करोड़ से ऊपर | 5.00 करोड़ तक |
| 'ए' श्रेणी     | रु0 75.00 लाख से अधिक | 2.00 करोड़ तक |
| 'बी' श्रेणी    | रु0 25.00 लाख से अधिक | 75.00 लाख तक  |
| 'सी' श्रेणी    | रु0 10.00 लाख से अधिक | 25.00 लाख तक  |
| 'डी' श्रेणी    | रु0 5.00 लाख से अधिक  | 10.00 लाख तक  |
| 'ई' श्रेणी     | रु0 5.00 लाख तक       |               |

- 2— फर्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खोला जायेगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जायेगी।
- 3— निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। 5.00 करोड़ से अधिक कार्य हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत विशिष्ट श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डालने के लिये अधिकृत होंगे लेकिन शर्त यह होगी कि उनकी निविदा स्वीकृत होने पर उन्हें विभाग में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा। ऐसी निविदाये **टू विड सिस्टम** के अर्न्तगत आमंत्रित की जायेगी।
- 4— निर्माण कार्यों पर संलग्न परिशिष्ट संख्या-1 के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।
- 5— ठेकेदारों को अनुमानित राशि की 2 प्रतिशत एफ.डी.आर./एन.एस.सी. जो, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के नाम बन्धक हो, के रूप में धरोहर राशि निविदा क्रय करने से पूर्व जमा करानी होगी।
- 6— चलित देयकों से जमानत राशि प्रथम लाख का 10% अगले लाख पर 7.50% व शेष पर 5% की दर से काटा जायेगा। यह जमानत राशि एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में जो कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर के नाम बन्धक हो, में परिवर्तित की जा सकती है।
- 7— पुराने पंजीकृत ठेकेदारों को उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण एवं वर्क इन हैण्ड का विवरण सम्बन्धित अभियंत्रण खण्डों से सत्यापित कराकर देना होगा।
- 8— यदि ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य उत्तम श्रेणी का है, तो पूर्व में किये गये कार्यों के मूल्य का 1.50% गुना संबंधित ठेकेदार की क्षमता मानी जा सकती है, क्षमता पूरी हो जाने

(3)

पर सम्बन्धित ठेकेदार को निविदा विक्रय की जायेगी। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का निर्णय अन्तिम होगा।

- 9- पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को ब्लैक लिस्ट काली सूची में दर्ज करने का अधिकार सचिव/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को होगा।
- 10- इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर उसका निकट का रिश्तेदार (ब्लड रिलेशन) कानपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। ब्लड रिलेशन का अर्थ है कि (पिता, माँ, भाई -बहिन, चाचा, ताऊ, बेटा व पत्नी इत्यादि) यदि इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त कर उसकी फर्म को का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- 11- किसी ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण, जिसने प्राधिकरण में सर्विस की हो, प्राधिकरण में सर्विस समाप्त होने के दो वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही किया जायेगा।
- 12- निविदा मूल्य निम्न प्रकार देय होगा:-
- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| रु0 2.00 लाख तक                 | 250/-  |
| रु0 2.00 लाख से 5.00लाख तक      | 500/-  |
| रु0 5.00 लाख से 10.00लाख तक     | 700/-  |
| रु0 10.00 लाख से 50.00लाख तक    | 1200/- |
| रु0 50.00 लाख से 1.00करोड़ तक   | 1800/- |
| रु0 1.00 करोड़ से 2.00 करोड़ तक | 2500/- |
| रु0 2.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक | 4000/- |
| रु0 5.00 करोड़ से अधिक          | 6000/- |
- 13- लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 के अनुसार परिशिष्ट-4 पर निर्धारित प्रारूप का राष्ट्रीकृत बैंक से देना होगा।
- 14- सभी ठेकेदारों को जिला मजिस्ट्रेट से वर्तमान चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास स्थान का पता सत्यापन कराकर देना होगा।
- 15- प्रमाण पत्र के साथ लगायी जाने वाली फोटो राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी से प्रमाणित होनी चाहिये।

(4)

- 16- सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेंगे जो किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा माँगने पर दिखाना होगा ।
- 17- विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत जो कोई एक व्यक्ति ही करेगा, का शपथ पत्र देना होगा ।
- 18- निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ट संख्या-2 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि मशीनरी स्थल पर नहीं पायी जाती है तो संलग्न सूची के अनुसार मशीनरी का किराया बिल से काटा जायेगा ।
- 19- पंजीकरण शुल्क संलग्न परिशिष्ट संख्या-2 के अनुसार देय होगा, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक मान्य होगा।
- 20- वॉछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ न जमा करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/सचिव को सुरक्षित होगा ।
- 21- पंजीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित है।
- 22- पंजीकृत ठेकेदारों को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में समय समय पर जारी किये गये आदेश मानने होंगे ।
- 23- क्षमता निर्धारण हेतु वर्क इन हैन्ड एवं गत चार वर्षों में किये गये कार्यो के विवरण संलग्न प्रारूप में देना होगा जिसके साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- 24- जमानत राशि निर्माण/विकास कार्य के सन्तोषजनक पूरा होने अथवा अन्तिम भुगतान के छः माह बाद जो भी बाद में हो अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप वापिस की जायेगी ।
- 25- ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग में पिछले वित्तीय वर्ष 2009-10 के आयकर रिटर्न की प्रति तथा बैलेन्स शीट देना होगा ।

#### पंजीकरण वर्ष 2010..11 हेतु

- 26- (1) **विषिष्ट श्रेणी** के ठेकेदारों को कम से कम चार वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्य हेतु पिछले चार वर्षों में कम

(5)

से कम 500 लाख के कार्यों का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्रा0लि0 कं0 का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

(2) ए श्रेणी के ठेकेदारों के लिये कम से कम 4 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्यों हेतु पिछले चार वर्षों में कम से कम 200 लाख के कार्यों का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्रा0लि0 कं0 का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

(3) 'बी' श्रेणी के ठेकेदारों के लिये 4 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्यों हेतु पिछले तीन वर्षों में कम से कम 50 लाख के कार्यों का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्रा0लि0 कं0 का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

(4) 'सी' श्रेणी के ठेकेदारों के लिये 4 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्यों हेतु पिछले तीन वर्षों में कम से कम 25 लाख के कार्यों का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्रा0लि0 कं0 का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

(5) प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मों का नवीनीकरण किये जाने या आगे की अवधि हेतु वैधता बढ़ाने के लिये फर्म को गत वर्ष में किये गये कार्यों निर्माण/विकास कार्यों का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्रा0लि0 कं0 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) आवेदन फार्म के साथ ही समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करायी जायेगी। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। यदि औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि पप्रदान की जाती है ता उसका पंजीकरण प्राविधानित होगा जो दी गई समयावधि के उपरान्त औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने पर स्वतः निरस्त माना जायेगा।

नोट:- उपरोक्त वर्णित राजकीय विभाग/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्रा0लि0 कं0 के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किये गये कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण होना चाहिए। जिसकी पुष्टि कराने के उपरान्त अभिलेख अनुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जो सभी कैटेगरी के फर्मों पर मान्य होगा।

(6)

- 27— ठेकेदारों का पंजीकरण एक बार में केवल एक वर्ष के लिये किया जायेगा, जो चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वैध होगा। पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण एक वर्ष के लिये किया जायेगा, किन्तु प्रति वर्ष 31 मार्च तक चरित्र प्रमाण पत्र तथा लिक्विड एसेट्स प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख सत्यापित आवेदन के साथ देना होगा। पूर्व पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व चरित्र प्रमाण पत्र, लिक्विड एसेट्स प्रमाण पत्र तथा किये गये कार्यों का विवरण संलग्न करना होगा।
- 28— किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 29— कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें या प्राधिकरण के मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता अथवा किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा।
- 30— यदि कोई फर्म किन्हीं कारणों से प्राधिकरण द्वारा ब्लैक लिस्ट की जाती है, तो उस फर्म का मालिक या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या मालिक है, तो वह फर्म भी स्वतः ही ब्लैक लिस्ट हो जायेगी।
- 31— प्राधिकरण में कोई भी पंजीकृत ठेकेदार निम्नानुसार सीमा से अधिक मूल्य का कार्य एक समय में करने के लिए अहर्ष्य नहीं होगा।

**भवन निर्माण एवं विकास कार्य हेतु :**

| 1. विषिष्ट श्रेणी | सीमा नहीं         |
|-------------------|-------------------|
| 2. "ए" श्रेणी     | रु0 5.00 करोड़ तक |
| 3. "बी" श्रेणी    | रु0 2.00 करोड़ तक |
| 4. "सी" श्रेणी    | रु0 50.00 लाख तक  |
| 5. "डी" श्रेणी    | रु0 20.00 लाख तक  |
| 6. "ई" श्रेणी     | रु0 10.00 लाख तक  |

- 32— बी.ई0/बी. टेक (सिविल) एवं समकक्ष डिग्री धारकों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के "सी" श्रेणी में किया जा सकता है।

(7)

- 33— विद्युतीकरण के कार्यों हेतु विद्युत निदेशक उ0प्र0 शासन से “क” श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स संलग्न करना होगा। जो पंजीकरण अवधि के लिये वैध होना चाहिये।
- 34— एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोप्राइटर अथवा साझीदार हो सकता है।
- 35— 5.00 करोड़ से अधिक कार्य की निविदा टू विड सिस्टम के अर्न्तगत आमंत्रित की जायेगी।
- 36— केवल हाट मिक्स प्लान्ट के कार्यों के लियं पंजीकृत फर्मों के साथ-साथ समस्त प्लान्ट धारक जिनके पास स्वयं का MOST की विशिष्टियों के अनुसार कम्प्यूटर कंट्रोल्ड हाटमिक्स प्लान्टसेन्सर पेवेर , वाइब्रेटरी रोलर, रोड रोलर, बिटुमिन स्प्रेयर, कम्प्रेसर आदि हो तथा जो कानपुर में उपरोक्त प्लान्ट स्थापित कर कार्य करना चाहें, ऐसी फर्म प्राधिकरण की निविदा में भाग ले सकेंगे। किन्तु उन्हें प्रथम बार निविदा स्वीकृति के उपरान्त पंजीकरण की समस्त औपचारिकतायें तथा विशिष्ट श्रेणी की पंजीकरण फीस जमा करनी होगी। हाटमिक्स प्लान्ट वर्ग में मात्र विशिष्ट श्रेणी में पंजीकरण होगा जो प्राधिकरण के हाटमिक्स के एक करोड़ से अधिक धनांक के कार्यों के लिये मान्य होगा।
- 37— शिरोपरि जलाशय हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्म के साथ अन्य ठेकेदार भी निविदा डालने हेतु पात्र होंगे, जिन्हे शिरोपरि जलाशय हेतु कार्यानुभव के रूप में 1000 किली0 से बड़े गत चार वर्षों में दो जलाशयों के पूर्णता प्रमाण पत्र का अनुभव हो तथा पंजीकरण फीस के रूप में रू0 10,000/ + 200/ प्रथम बार देय होगी। साथ ही पंजीकरण फार्म भरकर समस्त पंजीकरण औपचारिकतायें भी पूर्ण करनी होगी। “ए” श्रेणी का टर्नओवर होने पर ही पंजीकरण की अर्हता मानी जायेगी। शिरोपरि जलाशय वर्ग में मात्र एक ही श्रेणी में पंजीकरण होगा जो किसी भी कार्य धनांक के लिये मान्य होगा।
- 38— कानपुर विकास प्राधिकरण में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों जो निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त “क” श्रेणी/ “क” श्रेणी अनुमोदित विद्युत लाइसेन्स धारक है, वाह्य विद्युतीकरण कार्यों की आमंत्रित सभी निविदाओं में अपनी पंजीकृत श्रेणी के अतिरिक्त अपने से एक श्रेणी ऊपर की निविदाओं में भाग लेने हेतु पात्र होंगी तथा निविदा में भाग लेने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निविदा शुल्क पूर्व में ही जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही निविदा के साथ विद्युत लाइसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदा में भाग लेने वाली फर्मों हेतु प्रकाश व्यवस्था व फौव्वारों आदि के संचालन एवं अनुरक्षण कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नलकूप स्थापना एवं संचालन का दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सहित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निविदा के साथ नलकूप संचालन हेतु आई0टी0 आई योग्यता प्राप्त पम्प आपरेटर का प्रमाण -पत्र निविदा स्वीकृति उपरान्त उपलब्ध कराना अनिवार्य हागा।
- 39—शासनादेश सं0 425/23/7-2010-25(सा0)09 दिनांक29.01.10 के द्वारा शसकीय निर्माण कार्यों हेतु अनुसूचित जाति एवं /जनजाति के ठेकेदारों को पूर्वशासनादेश सं0 2057/23/7-2010-25(सा0)09 दिनांक 30.06.09 में निर्धारित की गई धनराशि रू0 पाँच लाख को बढ़ाकर एतद् द्वारा रू0 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) कर दी गई है। उक्त शासनादेश में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों तथा बेरोजगार

इंजीनियर टेकेदारों को पंजीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यक हैसियत की धनराशि तथा सामान्य जमानती धनराशि की निर्धारित सीमा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ।

(8)

### परिशिष्ट संख्या-1

प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्यों पर निम्नानुसार स्टाफ रखना होगा। (10/ रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

| श्रेणी | [विषिष्ट एवं "ए"]          | श्रेणी ["बी"]              | श्रेणी ["सी"] | श्रेणी ["डी"] |
|--------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
|        | दो ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर | एक सिविल इंजीनियर          |               |               |
|        | दो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर | एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर |               |               |

### परिशिष्ट संख्या-2

निर्माण कार्यों पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूची:- (10/ रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

| क्रमांक | मशीनरी का नाम                                                      | श्रेणी          |      |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|
|         |                                                                    | विशिष्ट एवं "ए" | "बी" | सी |
| 1.      | कंकरीट मिक्सर                                                      | 2               | 1    | 1  |
| 2.      | वाइब्रेटर्स                                                        | 3               | 2    | 1  |
| 3.      | पम्पस्                                                             | 2               | 1    | 1  |
| 4.      | डीजल विनचिस 65 टन क्षमता का                                        | 2               | 1    | —  |
| 5.      | एक्सकेवेषन ग्रेब्स 1/2 से 1 मी क्यूब की क्षमता वाले (सेतु के लिये) | 4               | 2    | —  |
| 6.      | डीजल जनरेटिंग सैट 25 कि0 वाट (सेतु के लिये)                        | 1               | —    | —  |
| 7.      | ट्रैक्टर्स केवल सड़क के लिये                                       | 1               | —    | —  |
| 8.      | रोड रोलर केवल सड़क के लिये                                         | 2               | —    | —  |
| 9.      | थ्योडोलाइट                                                         | 1               | —    | —  |
| 10.     | लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित                                            | 2               | 1    | —  |
| 11.     | बिटुमिन बायलर                                                      | 1               | —    | —  |

(9)

### परिशिष्ट संख्या-3

सिविल कार्यों हेतु पंजीकरण शुल्क एवं हैसियत प्रमाण पत्र का विवरण

| श्रेणी  | कार्य प्राप्त करने की क्षमता [रूपये में] | पंजीकरण शुल्क [रूपये में] (जमा फीस वापसी नहीं) | नवीनीकरण शुल्क (रूपयों में प्रतिवर्ष) (जमाफीस वापसी नहीं) | लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| विशिष्ट | 2.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक              | 50,000.00                                      | 7500.00                                                   | 125.00 लाख               |
| “ए”     | 75.00 लाख से 2.00 करोड़ तक               | 25,000.00                                      | 3750.00                                                   | 50.00 लाख                |
| “बी”    | 25.00 लाख से 75.00 लाख तक                | 15,000.00                                      | 2250.00                                                   | 12.50 लाख                |
| “सी”    | 10.00 लाख से 25.00 लाख तक                | 10,000.00                                      | 1500.00                                                   | 6.25 लाख                 |
| “डी”    | 10.00 लाख तक                             | 5000.00                                        | 750.00                                                    | 2.50 लाख                 |
| “ई”     | 5.00 लाख तक                              | 2500.00                                        | 375.00                                                    | 1.25 लाख                 |

### परिशिष्ट संख्या-4

प्रमाणित किया जाता है कि मैं.....

प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम.....

निवासी.....

गत.....वर्षों से हमारे खातेदार है एवं जिनका व्यवहार संतोषजनक है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार

उनका लिक्विड एसेट्स.....लाख से अधिक है।

बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर  
सील सहित

### कानपुर विकास प्राधिकरण

पिछले चार वर्षों में किये गये कार्यों का  
विवरण

वर्क इन हैंड का विवरण

प्रमाण पत्र संलग्नक की  
स्थिति

| कार्य का<br>मूल्य | कार्य<br>प्रारम्भ<br>की तिथि | कार्य समाप्ति की<br>तिथि<br>अनुबन्ध/ वास्तविक<br>के अनुसार | कार्य का<br>मूल्य | कार्य प्रारम्भ<br>की तिथि | कार्य<br>समाप्ति<br>की तिथि | प्रमाण पत्र संलग्नक की<br>स्थिति |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 4                 | 5                            | 6                                                          | 7                 | 8                         | 9                           | 11                               |
|                   |                              |                                                            |                   |                           |                             |                                  |